

न्यायालय जिला कलक्टर, सिरोही (राज.)

बईजलास डॉ. भँवर लाल, आई.ए.एस.

पंचायत निगरानी सं. 36/2022

प्रार्थी

विकास अधिकारी पंचायत समिति पिण्डवाडा जिला सिरोही।

बनाम

अप्रार्थीगण

1. सरपंच ग्राम पंचायत रोहिडा तहसील पिण्डवाडा जिला सिरोही।
2. श्रीमती निशा पत्नि श्री अजयराज जाति सोनी निवासी रोहिडा तहसील पिण्डवाडा जिला सिरोही।

पंचायत निगरानी प्रार्थना-पत्र अन्तर्गत धारा 97 राज. पंचायती
राज अधिनियम, 1994

उपस्थिति :-

1. श्री नटवरलाल जीनगर सहायक विकास अधिकारी सिरोही प्रार्थी की ओर से
2. अधिवक्ता श्री उमेश पटेल, अप्रार्थी संख्या दो की ओर से।

निर्णय

दिनांक 10.02.2023

संक्षेप में प्रकरण के तथ्य इस प्रकार है कि प्रार्थी ने यह निगरानी प्रार्थना-पत्र राजस्थान पंचायती राज अधिनियम 1994 की धारा 97 के तहत प्रस्ताव संख्या 12 दिनांक 05.07.2019 को राजस्थान पंचायतीराज नियम 1996 के नियम 157(1) के तहत क्रम संख्या 53 पर दर्ज अप्रार्थी संख्या दो श्रीमती निशा पत्नि श्री अजयराज सोनी निवासी रोहिडा तहसील पिण्डवाडा जिला सिरोही को पट्टा जारी करने के सम्बन्ध में पारित निर्णय को निरस्त कराने हेतु प्रस्तुत किया। प्रार्थी का प्रार्थना-पत्र दर्ज रजिस्टर किया जाकर अप्रार्थी को नोटिस जारी किये गये। अप्रार्थी संख्या दो की ओर से अधिवक्ता श्री उमेश पटेल द्वारा वकालतनामा पेश कर उपस्थिति दी एवं जवाब प्रस्तुत किया, जो शामिल मिसल किया गया। अतः प्रकरण में दोनों पक्षों की विस्तृत बहस सुनी गई।

प्रार्थी की ओर से श्री नटवरलाल जीनगर सहायक विकास अधिकारी सिरोही ने दौराने बहस मेरा ध्यान प्रार्थी की ओर से प्रस्तुत प्रार्थना-पत्र में अंकित तथ्यों की ओर आकर्षित करते हुए यह व्यक्त किया कि ग्राम पंचायत रोहिडा द्वारा दिनांक 05.07.2019 को लिए गए प्रस्ताव संख्या 12 में क्रम संख्या 53 पर दर्ज अप्रार्थी संख्या दो श्रीमती निशा पत्नि श्री अजयराज सोनी के नाम से राजस्थान पंचायतीराज नियम 1996 के नियम 157 उपनियम (1) के अन्तर्गत विक्रय विलेख जारी करने हेतु नियमों के विपरीत प्रस्ताव लिया गया है। यह है कि अप्रार्थी संख्या दो के पति श्री अजयराज सोनी तत्समय ग्राम पंचायत रोहिडा में वार्ड संख्या 12 से वार्ड पंच पर निर्वाचित है और उनकी मौजूदगी में उनकी पत्नि श्रीमती निशा के नाम से राजस्थान पंचायतीराज नियम 1996 के नियम 157 (1) के अन्तर्गत पुराने आवास गृहों का विनियमितकरण जारी करने का प्रस्ताव प्रस्तुत किया गया तथा अनुमोदन किया गया, जबकि अप्रार्थी संख्या दो के पति श्री अजयराज सोनी अधिनीय लगातार पेज नं. 02.....

Bulla
जिला कलक्टर, सिरोही

हित होने के कारण उनको बैठक में अनुपस्थित रहना था। यह है कि राजस्थान पंचायतीराज अधिनियम 1994 की धारा 48(3) में यह प्रावधान है कि किसी भी पंचायतीराज संस्था का कोई सदस्य पंचायतीराज संस्था की बैठक में विचार के लिए आने वाले किसी भी प्रश्न की चर्चा में मतदान नहीं करेगा या भाग नहीं लेगा, यदि उसका कोई भी धनीय हित हो, जबकि वार्ड पंच श्री अजयराज सोनी की पत्नि श्रीमती निशा सोनी के नाम से पट्टा बनाने का निर्णय, अनुमोदन दिनांक 05.07.2019 में प्रस्ताव संख्या 12 में क्रम संख्या 53 पर अंकित है तथा इस कार्यवाही में वार्ड सदस्य श्री अजयराज सोनी के हस्ताक्षर होने के कारण पंचायतीराज अधिनियम 1994 की धारा 48(3) का उल्लंघन करना पाया गया। शिकायत प्रस्तुत होने पर जांच के आधार पर ही निगरानी प्रार्थना पत्र पेश किया गया है। पंचायत द्वारा नियमों की अवहेलना कर प्रस्ताव पारित किया गया है। अतः श्रीमान से निवेदन है कि प्रार्थी का प्रार्थना पत्र स्वीकार फरमाकर ग्राम पंचायत रोहिडा द्वारा प्रस्ताव संख्या 12 दिनांक 05.07.2019 को राजस्थान पंचायतीराज नियम 1996 के नियम 157(1) के तहत क्रम संख्या 53 पर दर्ज अप्रार्थी संख्या दो को पट्टा जारी करने के सम्बन्ध में पारित निर्णय को निरस्त करना फरमावे।

अप्रार्थी संख्या दो के लायक अधिवक्ता श्री उमेश पटेल द्वारा दौराने बहस मेरा ध्यान निगरानी में प्रस्तुत जवाब में अंकित तथ्यों की ओर आकर्षित करते हुए निवेदन किया कि पंचायत द्वारा अप्रार्थी संख्या दो को नियम 157(1) के तहत पुराने मकान का पट्टा जारी करने का प्रस्ताव पारित करने में कोई अनियमितता अथवा नियमों का उल्लंघन नहीं किया है। ग्राम पंचायत रोहिडा को आबादी भूमि में विक्रय विलेख जारी करने का अधिकार होने से उक्त प्रस्ताव विधि अनुसार पारित किया गया है। यह है कि ग्राम पंचायत रोहिडा ने प्रस्ताव संख्या 12 में अप्रार्थी संख्या दो श्रीमती निशा पत्नि श्री अजयराज सोनी के आवेदन पर राजस्थान पंचायतीराज नियम 1996 के नियम 157(1) के तहत विक्रय विलेख जारी करने हेतु पारित प्रस्ताव में अप्रार्थी संख्या दो व उसके पति का धनीय हित नहीं होकर विधिक अधिकार होने से प्रस्ताव पारित करने में कोई अवैधता नहीं की है। यह है कि अप्रार्थी संख्या दो श्रीमती निशा पत्नि श्री अजयराज सोनी अपने पुराने आवास का ग्राम पंचायत रोहिडा से राजस्थान पंचायतीराज नियम 1996 के नियम 157(1) के तहत विनियमित कराकर पट्टा जारी करवाने की अधिकारी है एवं इस प्रकरण में अप्रार्थी संख्या दो के पति की शिकायत कर्ता श्री रतनलाल रावल अप्रार्थिया के पति से पंचायत चुनाव में हार गया था, जिसकी रजिश एवं द्वेष भावना से केवल मात्र हैरान कि प्रार्थी ने राजनीतिक द्वेषता के कारण राजनीतिक दबाव से जांच कर एक तरफा कार्यवाही की है, जो विधि विरुद्ध है व विधि में परिपोषणीय नहीं है। अतः श्रीमान से निवेदन है कि उक्त निगरानी प्रार्थना पत्र को खारिज किया जाना फरमावे एवं ग्राम पंचायत रोहिडा को आदेशित करावे की वे अविलम्ब अप्रार्थी संख्या दो को ग्राम रोहिडा में स्थित पुराने आवास गृह का नियमानुसार विनियमित कर पट्टा जारी करें।

उभय पक्ष की सुनी गई बहस पर मनन किया। प्रार्थी की ओर से प्रस्तुत प्रार्थना-पत्र एवं अप्रार्थी संख्या दो की ओर से प्रस्तुत जवाब एवं पत्रावली का भलिभाँति नियमों के परिप्रेक्ष्य में अध्ययन एवं अवलोकन किया गया तो निष्कर्ष निम्न प्रकार है :-

अप्रार्थी संख्या दो को उक्त प्रस्ताव ग्राम पंचायत, रोहिडा द्वारा राजस्थान पंचायतीराज सामान्य नियम 1996 के नियम 157(1) के तहत पट्टा जारी करने के सम्बन्ध में लिया गया है। राजस्थान पंचायतीराज सामान्य नियम 1996 के नियम 157(1) के अनुसार-

bulla
जिला कलेक्टर, सिरोही

लगातार पेज नं. 03.....

157.—पुराने गृहों का विनियमितकरण— जहाँ व्यक्ति आबादी भूमि में पुराने गृह का कब्जा रखते हैं और पट्टा जारी कराने के इच्छुक वहाँ उन्हें निम्नलिखित प्रभार निक्षिप्त कराने के पश्चात् प्ररूप 23 क में पंचायत द्वारा पट्टा जारी किया जा सकेगा—

1. 300 वर्गगज तक के क्षेत्रफल के लिए या 300 वर्गगज अधिकतम क्षेत्रफल के अध्यक्षीन रहते हुए 25 प्रतिशत सनिर्मित क्षेत्रफल को सम्मिलित करते हुए सनिर्मित क्षेत्रफल:

- क. इन नियमों के प्रारम्भ की तारीख से पूर्व, पचास वर्षों से अधिक पूर्व में = 100 रूपये सनिर्मित पुराने गृहों के लिए।
ख. (31 दिसम्बर 2016 के ठीक पूर्ववर्ती सत्तर वर्षों के दौरान) = 200 रूपये सनिर्मित पुराने गृहों के लिए।

पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजी साक्ष्यों के अवलोकन से यह प्रतीत होता है कि ग्राम पंचायत रोहिडा द्वारा दिनांक 05.07.2019 को प्रस्ताव संख्या 12 पारित किया गया, जिसमें क्रम संख्या 53 पर अप्रार्थी संख्या दो श्रीमती निशा पत्नि श्री अजयराज सोनी के नाम से राजस्थान पंचायतीराज नियम 1996 के नियम 157 उपनियम (1) के अन्तर्गत विक्रय विलेख जारी करने का निर्णय लिया गया था। पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजी साक्ष्यों के अवलोकन से यह प्रतीत होता है कि ग्राम पंचायत रोहिडा द्वारा दिनांक 05.07.2019 को ग्राम पंचायत की साधारण बैठक सरपंच ग्राम पंचायत रोहिडा की अध्यक्षता में आयोजित की, जिसमें प्रस्ताव संख्या 01 से 12 पारित किए गए, परन्तु ग्राम पंचायत रोहिडा की बैठक कार्यवाही रजिस्टर की प्रमाणित प्रति का अवलोकन करने पर यह प्रतीत होता है कि ग्राम पंचायत रोहिडा की उक्त बैठक में प्रस्ताव पारित करने से पूर्व ही उपस्थित पंचायत सदस्यों से हस्ताक्षर करवा लिए गए थे, जबकि ग्राम पंचायत की बैठक में कोरम की गणना के लिए बैठक से पूर्व हस्ताक्षर कराने का कोई प्रावधान नहीं है एवं राजस्थान पंचायतीराज अधिनियम 1994 की धारा 48(6) में भी यह स्पष्ट प्रावधान है कि पंचायतीराज संस्थाओं की बैठक कार्यवाही कार्यवृत्त पुस्तक में विचार-विमर्श के ठीक पश्चात अभिलिखित की जाएगी और बैठक की अध्यक्षता करने वाले प्राधिकारी द्वारा पढकर सुना दिए जाने के पश्चात उसके द्वारा हस्ताक्षरित की जाएगी। ग्राम पंचायत रोहिडा द्वारा दिनांक 05.07.2019 को सम्पन्न हुई बैठक रजिस्टर का अवलोकन करने पर यह प्रतीत होता है कि प्रस्ताव संख्या 12 को पारित करने के पश्चात बैठक में उपस्थित अध्यक्ष एवं किसी भी पंचायत सदस्य के हस्ताक्षर नहीं हैं, जबकि राजस्थान सरकार ग्रामीण विकास एवं पंचायतीराज विभाग के पत्र क्रमांक:—एफ.40(49)15वीं/सत्र-4/ध्याना/प्रस्ताव/परावि/2020/87 दिनांक 02.02.2021 के द्वारा यह स्पष्ट किया गया है कि पंचायतीराज संस्थाओं की समस्त बैठकों के कार्यवाही विवरण रजिस्टर में कार्यवाही विवरण अंकन के पश्चात् रेखा खींची जाए एवं जहाँ विवरण समाप्त हो, वहीं सम्बन्धित समस्त जनप्रतिनिधिगण एवं सचिव अर्थात् ग्राम सेवक, विकास अधिकारी तथा मुख्य कार्यकारी अधिकारी के हस्ताक्षर करवाए जाए। अतः इससे यह स्पष्ट होता है कि ग्राम पंचायत रोहिडा द्वारा दिनांक 05.07.2019 को पारित किया गया प्रस्ताव संख्या 12 ग्राम पंचायत की बैठक के अध्यक्ष एवं पंचायत सदस्यों की उपस्थिति में पारित नहीं किया गया है, जो उचित प्रतीत नहीं होता है। यह भी उल्लेखनीय है कि उक्त प्रस्ताव संख्या 12 दिनांक 05.07.2019 के अवलोकन से यह प्रतीत होता है कि क्रम संख्या 01 से 41 तक अंकित व्यक्तियों के नाम लगातार लिखने के बाद क्रम संख्या 42 से 53 पर अंकित व्यक्तियों के नाम अगले पृष्ठ पर लिखा जाना चाहिए था, परन्तु क्रम संख्या 42 से 53 पर अंकित व्यक्तियों के नाम अगले पृष्ठ पर अंकित नहीं कर क्रम संख्या 01 से 12 के सामने अंकित किए गए हैं, जिससे यह प्रतीत होता है कि क्रम संख्या 01 से 41 तक व्यक्तियों के नाम उक्त प्रस्ताव संख्या 12 में लिखने के बाद क्रम संख्या 42 से 53 तक अंकित व्यक्तियों के नाम इस प्रस्ताव में जोड़े गए हैं, जिससे इस प्रस्ताव को पारित करने की कार्यवाही संदेहास्पद प्रतीत होती है। अतः उपरोक्त विवेचन एवं पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजी साक्ष्यों के अवलोकन से प्रार्थी का निगरानी प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाकर लगातार पेज नं. 04.....

Bello
जिला कलेक्टर, सिरोही

ग्राम पंचायत रोहिडा द्वारा पारित प्रस्ताव संख्या 12 दिनांक 05.07.2019 के द्वारा राजस्थान पंचायतीराज नियम 1996 के नियम 157(1) के तहत क्रम संख्या 53 पर दर्ज अप्रार्थी संख्या दो श्रीमती निशा पत्नि श्री अजयराज सोनी निवासी रोहिडा तहसील पिण्डवाडा जिला सिरोही को पट्टों जारी करने के सम्बन्ध में पारित निर्णय को निरस्त किया जाता है। साथ ही विकास अधिकारी पंचायत समिति पिण्डवाडा को निर्देशित किया जाता है कि ग्राम पंचायत रोहिडा द्वारा दिनांक 05.07.2019 को पारित किया गया प्रस्ताव संख्या 12 ग्राम पंचायत बैठक के अध्यक्ष एवं पंचायत सदस्यों की उपस्थिति में पारित नहीं किए जाने से प्रथम दृष्टया उक्त प्रस्ताव विधि अनुरूप नहीं पाया जाता है। अतः उक्त प्रस्ताव संख्या 12 दिनांक 05.07.2019 के क्रम संख्या 01 से 52 पर अंकित व्यक्तियों के नाम से पारित निर्णय के सम्बन्ध में जांच कर आवश्यक कार्यवाही संपादित करें।

निर्णय आज दिनांक 10.02.2023 को खुले न्यायालय में डिक्टेट कराया जाकर सरे इजलास सुनाया गया।



Bell
(डॉ. भँवर लाल)
जिला कलक्टर, सिरोही